



--- न्यायालय उपजिला कलेक्टर सांगोद जिला कोटा ---

बईजलास राजेश डागा (आर.ए.एस.)

मिसल न0 107/2022

बउनवान

1. देवेन्द्र पुत्र बाबूलाल जाति नायक निवासी ग्राम कमोलर तह0 सांगोद
 2. महेन्द्र पुत्र बाबूलाल जाति नायक निवासी ग्राम कमोलर तह0 सांगोद
 3. मनभर पुत्री बाबूलाल जाति नायक निवासी ग्राम कमोलर तह0 सांगोद
 4. संजा पुत्री बाबूलाल जाति नायक निवासी ग्राम कमोलर तह0 सांगोद
 5. संतोष पुत्री बाबूलाल जाति नायक निवासी ग्राम कमोलर तह0 सांगोद
 6. सीमा पुत्री बाबूलाल जाति नायक निवासी ग्राम कमोलर तह0 सांगोद
- जिला कोटा राजस्थान।
- वादीगण-

बनाम

1. किशनलाल पुत्र नाथूलाल जाति नायक निवासी ग्राम कमोलर तह0 सांगोद
 2. कैलाशबाई पुत्री नाथूलाल जाति नायक निवासी ग्राम कमोलर तह0 सांगोद
 3. रामचन्द्री उर्फ चन्द्रीबाई पुत्री नाथूलाल जातिनायक निवासीग्राम कमोलर तह0 सांगोद
 4. नरेन्द्र पुत्र चौथमल जाति नायक निवासी ग्राम कमोलर तह0 सांगोद
 5. सोनू पुत्र चौथमल जाति नायक निवासी ग्राम कमोलर तह0 सांगोद
 6. रीना पुत्री चौथमल जाति नायक निवासी ग्राम कमोलर तह0 सांगोद
 7. अनोख पत्नी स्व0चौथमल जाति नायक निवासी ग्राम कमोलर तह0सांगोद जिला कोटा
 8. इन्द्राबाई पुत्री टीकमचन्द जाति नायक निवासी ग्राम कमोलर तह0 सांगोद
 9. कंवरीबाई पत्नी टीकमचन्द जाति नायक निवासी ग्राम कमोलर तह0 सांगोद
- जिला कोटा राजस्थान।
10. राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार सांगोद तहसील सांगोद जिला कोटा।

- प्रतिवादीगण-

वाद अन्तर्गत धारा 53,88,89,188आर टी एक्ट

उपस्थिति :-

वादी की ओर से:- श्री बहादुर सिंह एडवोकेट

प्रतिवादी 1ता9 की ओर से :- श्री जितेन्द्र सुमन एडवोकेट

प्रतिवादी न010 की ओर से :- पैरोकार सरकार

2...

उपखण्ड मजिस्ट्रेट

सांगोद (कोटा)



2.....

दिनांक:- 4-1-2023

--: निर्णय:--

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीगण व प्रतिवादी क्रम 1ता 9 के संयुक्त खाते व कब्जे काशत की आराजी माल ग्राम कमोलर पटवार हल्का कमोलर तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान में खाता स0 नई 14 कुल किता 4 की कुल 1.27 हेक्टर व खाता स0 नई 326 कुल किता 2 की कुल 3.39हेक्टर व खाता स0 नई 48 कुल किता 2 की कुल 1.45हेक्टर आराजीयात स्थित हैं, जिसका विवरण निम्न प्रकार है:-

--: विवरण आराजीयात :-

माल ग्राम	खाता स0	खसरा न0	रकबा हेक्टर
कमोलर	नई 14	552	0.61हेक्टर
		605	0.30हेक्टर
		607	0.28हेक्टर
		608	0.08हेक्टर

कुल 4 किता की 1.27हेक्टर आराजी

माल ग्राम	खाता स0	खसरा न0	रकबा हेक्टर
कमोलर	नई 48	1330	0.83हेक्टर
		1333	0.62हेक्टर

कुल 2 किता की 1.45हेक्टर आराजी

माल ग्राम	खाता स0	खसरा न0	रकबा हेक्टर
कमोलर	नई 326	1341	3.00हेक्टर
		1342	0.39हेक्टर

कुल 2 किता की 3.39हेक्टर आराजी

उक्त वर्णित आराजीयात वादीगण व प्रतिवादी न01ता9 की पुश्तेनी आराजी है, जिसका वादीगण व प्रतिवादी न01ता9 ने आपसी सहमति से पारिवारिक बंटवारा कर लिया है, और मुताबिक पारिवारिक विभाजन के मौके पर आपसी सहमति से शांति पूर्वक अपने अपने हिस्से अनुसार काबिज काशत करते चले आ रहे हैं। वादीगण व प्रतिवादी न01ता9 ने उक्त वादग्रस्त आराजी का मौके पर आपसी सहमति से बंटवारा कर रखा है, और उक्त बंटवारा अनुसार ही निम्न प्रकार से वादीगण व प्रतिवादी न01ता9 अपने अपने हिस्से पर काबिज काशत है, जो निम्न प्रकार है:-

3.....

उपस्रण्ड मजिस्ट्रेट

सांगोद (कोटा)



3.....

अ. हिस्सा वादीन01ता6(देवेन्द्र,महेन्द्र,मनभर,संजा, संतोष, सीमा हिस्सा बांटवरावर)

माल ग्राम	खाता स0	खसरा न0	रकबा हेक्टर
कमोलर	नई14	552	0.61हेक्टर
		605	0.30हेक्टर
		607	0.28हेक्टर
		608	0.08हेक्टर

कुल 4 किता की 1.27हेक्टर आराजी ।

ब. हिस्सा प्रतिवादी न0 1व 2 (किशनलाल व कैलाशबाई हिस्सा बांट बराबर)

माल ग्राम	खाता स0	खसरा न0	रकबा हेक्टर
कमोलर	नई326 1341		3.00हेक्टर मे से 1.70हेक्टर उत्तरी

कुल 1 किता की 1.70हेक्टर आराजी

स. हिस्सा प्रतिवादी न0 3 (रामचन्द्री)हिस्सा :-

माल ग्राम	खाता स0	खसरा न0	रकबा हेक्टर
कमोलर	नई326 1342		0.39हेक्टर सम्पूर्ण
		1341	3.00हेक्टर मेसे 0.10हेक्टर मध्य
कमोलर	नई 48 1333		0.62हेक्टर मे से 0.30हेक्टर उत्तरी कुल 3

किता की 0.79हेक्टर आराजी

द. प्रतिवादीन04,5,6,7(नरेन्द्र,सोनू, सीना, अनोख) प्रत्येक का 1/4हिस्सा:-

कमोलर	नइ 326	1341	3.00हेक्टर मेसे 1.20हेक्टर दक्षिणी
-------	--------	------	------------------------------------

य. हिस्सा प्रतिवादी न08व 9(कंवरीबाई, इन्द्राबाई हिस्सा बांट बराबर):-

माल ग्राम	खाता स0	खसरा न0	रकबा हेक्टर
कमोलर	नई 48 1330		0.83हेक्टर
कमोलर	नई 48 1333		0.62हेक्टर मे से 0.32हेक्टर दक्षिणी कुल 2

किता की 1.15हेक्टर आराजी

उक्त वर्णित बंटवारा अनुसार वादीगण व प्रतिवादी न0 1ता 9 अपने अपने हिस्से अनुसार काबिज काशत करते चले आ रहे हैं, और उक्त अनुसार ही आराजी का विभाजन करवाना चाहते हैं, उक्त आराजी संयुक्त खाते मे दर्ज होने से वादीगण को अपने हिस्से मे प्राप्त


उपस्रण्ड मजिस्ट्रेट
बांगोव (कोटा)

4.....



आराजी का विकास कार्य करवाने व कृषि ऋण आदि प्राप्त करने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है, साथ ही सरकार से मिलने वाले मुआवजा व अनुदान राशि को भी हिस्से अनुसार प्राप्त करने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। जिससे वादीगण द्वारा पटवारी हल्का महोदय से मौके पर कब्जे काशत अनुसार आराजी का विभाजन करने के लिए कहने पर उनके द्वारा मना कर दिया गया, साथ ही प्रतिवादी क्रम 1ता 9 से भी तहसील कार्यालय में चलकर आराजी का मौके पर कब्जे काशत अनुसार बंटवारा करवाने के लिए कहने पर उनके द्वारा टी टालम टूल की जा रही है, तथा आज कि उक्त कब्जे काशत अनुसार बंटवारा नहीं करवाने से वादीगण के लिए आवश्यक हो गया है, कि वे माननीय न्यायालय में बंटवारे अनुसार प्रथक प्रथक घोषण करवाकर विभाजन करवाना आवश्यक हुआ है। उक्त वर्णित माल ग्राम कमोलर की खाता स0नई 326 के खसरा न01341, 1342 कुल 2 किता की कुल 3.39हेक्टर आराजी के राजस्व रेकार्ड में माफी शब्द लिखा हुआ है, जबकि उक्त आराजी वादीगण के खाते व कब्जे काशत की है, जिस पर माफी का नोट अंकित होने से वादीगण को अपने हिस्से पर कृषि ऋण आदि प्राप्त करने में काफी परेशानी होती है, उक्त माफी शब्द का कोई औचित्य नहीं है, जिसे हटाया जाना आवश्यक है, साथ ही उक्त आराजी के राजस्व रेकार्ड में मृतक चौथमल पुत्र नाथूलाल नाम दर्ज है, जिसके विधिक वारिसान प्रतिवादीन04ता 7 है, जिनको मृतक का विधिक वारिस होने से नकल जमाबन्दी खाता स0 नइ 326 के खसरा न01341, 1342 कुल 2 किता की कुल 3.39हेक्टर आराजी में खातेदार कृषक घोषित किया जावे। इसी प्रकार वाद पत्र की मद न01 में वर्णित माल ग्राम कमोलर पटवार हल्का कमोलर तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान में खाता स0 नई 14 कुल किता 4 की कुल 1.27हेक्टर व खाता स0 नई 326 कुल किता 2 की कुल 3.39हेक्टर व खाता स0 नई 48 कुल किता 2 की कुल 1.45हेक्टर आराजीयात में दर्ज वादीन06 के घर के बोलते नाम ममता के स्थान पर सीमा दर्ज किये जाने की घोषणा की जाकर इन्द्राज दुरस्त किया जाना आवश्यक है, जिसके लिए माननीय न्यायालय में उक्त वाद प्रस्तुत किया गया है।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी की गई, तथा बावजूद सूचना प्रतिवादी न010उपस्थित नहीं हुए, तथा प्रतिवादी फोरमल पक्षकार होने से जवाब की आवश्यकता भी नहीं है। तथा प्रतिवादी न01ता9 की ओर से वकील श्री जितेन्द्र सुमन द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत किया, और वादीगण का वाद स्वीकार करते हुए वाद को डिकी किये जाने की सहमति प्रदान की ई, तथा वादीगण व प्रतिवादीगण ने राजीनामा भी प्रस्तुत किया है, और मुताबिक राजीनामा बंटवारा किये जाने में अपनी सहमति प्रदान की है।


उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)



5...

पत्रावली बहस वादी मे नियत की गई, जिसमे वकील वादीगण द्वारा वाद मे वर्णित तथ्यों को दौहराया, जिसके बाद पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजो का गहनता से अवलोकन करने के बाद हम उक्त वाद को डिक्री किया जाना उचित समझते है, जो डिक्री किया जाता है।

—:: आदेश ::—

अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर अंतिम रूपसे डिक्री किया जाकर आदेश दिया जाता है कि माल ग्राम कमोलर के खाता स0 नई 14 के खसरा न0552, 605, 607,608 कुल 4 किता की 1.27हेक्टर, खाता स0 नई 326 के खसरा न01341,1342 कुल 2किता की 3.39हेक्टर व खाता स0 नई 48 के खसरा न0 1330, 1333 कुल 2 किता की 1.45हेक्टर आराजी के राजस्व रेकार्ड मे दर्ज वादीन06 के बोलते नाम ममता के स्थान पर सीमा दर्ज किये जाने व प्रतिवादी न0 3 के नाम रामचन्द्री के स्थान पर रामचन्द्री उर्फ चन्द्रीबाई दर्ज किये जाने के सादिर आदेश पारित किये जाते है, साथ ही उक्त वर्णित आराजी माल ग्राम कमोलर पटवार हल्का कमोलर तहसील सांगोद के खाता स0 नई 326 के खसरा न01341,1342 कुल 2 किता की 3.39हेक्टर आराजी के राजस्व रेकार्ड मे दर्ज माफी शब्द हटाये जाने के आदेश दिये जाते है, तथा उक्त वर्णित आराजीयात मे मुताबिक राजीनामा आपसी सहमति से हुए बंटवारे अनुसार निम्न प्रकार से वादीगण व प्रतिवादीन01ता9 को खातेदार कृषक घोषित किया जाकर बंटवारा किया जाता हैकि:-

अ. हिस्सा वादीन01ता6(देवेन्द्र,महेन्द्र,मनभर,संजा, संतोष, सीमा हिस्सा बांटबराबर)

माल ग्राम	खाता स0	खसरा न0	रकबा हेक्टर
कमोलर	नई14	552	0.61हेक्टर
		605	0.30हेक्टर
		607	0.28हेक्टर
		608	0.08हेक्टर

कुल 4 किता की 1.27हेक्टर आराजी।

ब. हिस्सा प्रतिवादी न0 1व 2 (किशनलाल व कैलाशबाई हिस्सा बांट बराबर)

माल ग्राम	खाता स0	खसरा न0	रकबा हेक्टर
कमोलर	नई326	1341	3.00हेक्टर मे से 1.70हेक्टर उत्तरी

कुल 1 किता की 1.70हेक्टर आराजी

6.....

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)



6....

स. हिस्सा प्रतिवादी न० 3 (रामचन्दी उर्फ चन्दीबाई) हिस्सा :-
माल ग्राम खाता स० खसरा न० रकबा हेक्टर
कमोलर नई 326 1342 0.39 हेक्टर सम्पूर्ण
कमोलर नई 48 1341 3.00 हेक्टर मेसे 0.10 हेक्टर मध्य
कमोलर नई 48 1333 0.62 हेक्टर मे से 0.30 हेक्टर उत्तरी
कुल 3 किता की 0.79 हेक्टर

द. प्रतिवादी न० 4, 5, 6, 7 (नरेन्द्र, सोनू, रीना, अनोख) प्रत्येक का बांट बराबर हिस्सा :-
कमोलर नई 326 1341 3.00 हेक्टर मेसे 1.20 हेक्टर दक्षिणी
कुल 1 किता की 1.20 हेक्टर

य. हिस्सा प्रतिवादी न० 8 व 9 (कंवरीबाई, इन्द्राबाई हिस्सा बांट बराबर) :-
माल ग्राम खाता स० खसरा न० रकबा हेक्टर
कमोलर नई 48 1330 0.83 हेक्टर
कमोलर नई 48 1333 0.62 हेक्टर मे से 0.32 हेक्टर दक्षिणी
कुल 2 किता की 1.15 हेक्टर आराजी

तथा उक्त विभाजन अनुसार राज लगान प्रथक प्रथक अकन किये जाकर राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है | नियमानुसार डिकी पर्चा प्रथक से जारी हो, पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावे।

उपखण्ड अधिकारी
(राजेश डागा)
सांगोद (कोटा)
आर. ए. एस.

उपखण्ड अधिकारी सांगोद

निर्णय आज दिनांक ५-१-२०२३ को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
(राजेश डागा)
सांगोद (कोटा)
आर. ए. एस.

उपखण्ड अधिकारी सांगोद



फर्द डिकी मुकदमात इब्तादाई
आर. रूल्स 6-7 जाब्जा दीवानी

निर्णय बईजलास श्री राजेश डागा(आर ए एस) उपखण्ड अधिकारी सांगोद
मिसल न0 107/2022 तारीख दायरा- 6-8-2021

बउनवान

1. देवेन्द्र पुत्र बाबूलाल जाति नायक निवासी ग्राम कमोलर तह0 सांगोद
 2. महेन्द्र पुत्र बाबूलाल जाति नायक निवासी ग्राम कमोलर तह0 सांगोद
 3. मनभर पुत्री बाबूलाल जाति नायक निवासी ग्राम कमोलर तह0 सांगोद
 4. संजा पुत्री बाबूलाल जाति नायक निवासी ग्राम कमोलर तह0 सांगोद
 5. संतोष पुत्री बाबूलाल जाति नायक निवासी ग्राम कमोलर तह0 सांगोद
 6. सीमा पुत्री बाबूलाल जाति नायक निवासी ग्राम कमोलर तह0 सांगोद
- वादीगण—
जिला कोटा राजस्थान।

बनाम

1. किशनलाल पुत्र नाथूलाल जाति नायक निवासी ग्राम कमोलर तह0 सांगोद
 2. कैलाशबाई पुत्री नाथूलाल जाति नायक निवासी ग्राम कमोलर तह0 सांगोद
 3. रामचन्द्री उर्फ चन्द्रीबाई पुत्री नाथूलाल जातिनायक निवासीग्राम कमोलर तह0 सांगोद
 4. नरेन्द्र पुत्र चौथमल जाति नायक निवासी ग्राम कमोलर तह0 सांगोद
 5. सोनू पुत्र चौथमल जाति नायक निवासी ग्राम कमोलर तह0 सांगोद
 6. रीना पुत्री चौथमल जाति नायक निवासी ग्राम कमोलर तह0 सांगोद
 7. अनोख पत्नी स्व0चौथमल जाति नायक निवासी ग्राम कमोलर तह0 सांगोद जिला कोटा
 8. इन्द्राबाई पुत्री टीकमचन्द जाति नायक निवासी ग्राम कमोलर तह0 सांगोद
 9. कंवरीबाई पत्नी टीकमचन्द जाति नायक निवासी ग्राम कमोलर तह0 सांगोद
- जिला कोटा राजस्थान।
10. राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार सांगोद तहसील सांगोद जिला कोटा।

— प्रतिवादीगण—

वाद अन्तर्गत धारा 53,88,89,188 आर टी एक्ट

दिनांक:- 4-1-2023

आज यह मुकदमा वास्ते मिसाल कतई मुझ श्री राजेश डागा(आर ए एस) व हाजरी श्री श्री बहादुर सिंह एडवोकेट वकील वादीगण एवं प्रतिवादीन01ता9 श्री जितेन्द्रसुमन एडवोकेट, प्रतिवादी न010 पैरोकार सरकार मिन जानिब मुद्दई रूबरू श्री
.....मिन मुद्दायल पेश होकर आदेश दिया जाता है कि:- वादीगण का वाद

2.....

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

स्वीकार किया जाकर अंतिम रूपसे डिकी किया जाकर आदेश दिया जाता है कि माल ग्राम कमोलर के खाता स० नई 14 के खसरा न० 552, 605, 607, 608 कुल 4 किता की 1.27 हेक्टर, खाता स० नई 326 के खसरा न० 1341, 1342 कुल 2 किता की 3.39 हेक्टर व खाता स० नई 48 के खसरा न० 1330, 1333 कुल 2 किता की 1.45 हेक्टर आराजी के राजस्व रेकार्ड में दर्ज वादी न० 6 के बोलते नाम ममता के स्थान पर सीमा दर्ज किये जाने व प्रतिवादी न० 3 के नाम रामचन्द्री के स्थान पर रामचन्द्री उर्फ चन्द्रीबाई दर्ज किये जाने के सादिर आदेश पारित किये जाते हैं, साथ ही उक्त वर्णित आराजी माल ग्राम कमोलर पटवार हल्का कमोलर तहसील सांगोद के खाता स० नई 326 के खसरा न० 1341, 1342 कुल 2 किता की 3.39 हेक्टर आराजी के राजस्व रेकार्ड में दर्ज माफी शब्द हटाये जाने के आदेश दिये जाते हैं, तथा उक्त वर्णित आराजीयात में मुताबिक राजीनामा आपसी सहमति से हुए बंटवारे अनुसार निम्न प्रकार से वादीगण व प्रतिवादी न० 1 ता 9 को खातेदार कृषक घोषित किया जाकर बंटवारा किया जाता हैकि:-

अ. हिस्सा वादी न० 1 ता 6 (देवेन्द्र, महेन्द्र, मनभर, संजा, संतोष, सीमा हिस्सा बांट बराबर)

माल ग्राम	खाता स०	खसरा न०	रकबा हेक्टर
कमोलर	नई 14	552	0.61 हेक्टर
		605	0.30 हेक्टर
		607	0.28 हेक्टर
		608	0.08 हेक्टर

कुल 4 किता की 1.27 हेक्टर आराजी।

ब. हिस्सा प्रतिवादी न० 1 व 2 (किशनलाल व कैलाशबाई हिस्सा बांट बराबर)

माल ग्राम	खाता स०	खसरा न०	रकबा हेक्टर
कमोलर	नई 326	1341	3.00 हेक्टर में से 1.70 हेक्टर उत्तरी

कुल 1 किता की 1.70 हेक्टर आराजी

स. हिस्सा प्रतिवादी न० 3 (रामचन्द्री उर्फ चन्द्रीबाई) हिस्सा :-

माल ग्राम	खाता स०	खसरा न०	रकबा हेक्टर
कमोलर	नई 326	1342	0.39 हेक्टर सम्पूर्ण
		1341	3.00 हेक्टर में से 0.10 हेक्टर मध्य
कमोलर	नई 48	1333	0.62 हेक्टर में से 0.30 हेक्टर उत्तरी

कुल 3 किता की 0.79 हेक्टर




3...

द. प्रतिवादी न० 4, 5, 6, 7 (नरेन्द्र, सोनू, रीना, अनोख) प्रत्येक का बांट बराबर हिस्सा:-
कमोलर नई 326 1341 3.00 हेक्टर मेसे 1.20 हेक्टर दक्षिणी
कुल 1 किता की 1.20 हेक्टर

य. हिस्सा प्रतिवादी न० 8 व 9 (कंवरीबाई, इन्द्राबाई हिस्सा बांट बराबर):-
माल ग्राम खाता स० खसरा न० रकबा हेक्टर
कमोलर नई 48 1330 0.83 हेक्टर
कमोलर नई 48 1333 0.62 हेक्टर मे से 0.32 हेक्टर दक्षिणी
कुल 2 किता की 1.15 हेक्टर आराजी

तथा उक्त विभाजन अनुसार राज लगान प्रथक प्रथक अकन किये जाकर राजस्व रेकार्ड
मे अमल दरामद किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है।


उपखण्ड अधिकारी (सांगोद)

सांगोद (खोटा) स.

उपखण्ड अधिकारी सांगोद